Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. NN/1/2017/MHFW1/SEOTH/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट ,नई दिल्ली -110003
6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: **07.06.2017**

To,

The Director,
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS),
Ansari Nagar
New Delhi-110029

Sub: Seeking help for injustice verdict against Dr. Neisevile Nisa, Senior Resident by AIIMS Hospital.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, NCST, on 19.04.2017 for necessary action and send the action taken report to the Commission urgently.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy to:

1. Dr. Neisevile Nisa, Senior Resident, Dept. of Anaesthesiology, AIIMS, New Delhi
2. All Units
3. SSA, NIC, NCST

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

एनएन/1/2017/एमएचएफडब्ल्यू1/एसईओटीएच/आर.यू–III

डॉ. एन निशा, सीनियर रेजिडेन्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने संस्थान द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय के आरोप में माननीय सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 19.04.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे आयोग के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि– 19.04.2017

सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

प्रकरण का विवरण

डॉ. एन. निशा, सीनियर रेजिडेन्ट, एनेस्थिसियोलोजी विभाग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, द्वारा एक नर्सिंग अधिकारी की मृत्यु की जांच की रिपोर्ट के आधार पर अन्यायपूर्ण तरीके से अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने के नाते सबसे कमजोर कड़ी समझकर पूरा इल्जाम उन पर डालते हुए सेवा से बर्खास्त करने के सम्बन्ध में आयोग को दिनांक 09.02.2017 को अभ्यावेदन दिया। (आवेदन की प्रति संलग्न)

प्रकरण में आयोग ने दिनांक 27.02.2017 को पत्र द्वारा निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ने दिनांक 16.03.2017 को पत्र द्वारा आयोग को प्रतिउत्तर प्रेषित किया जिसके परीक्षण पर ज्ञात हुआ कि मामले में दो बार जांच कमेटी गठित हुई हैं, जिसमें प्रथम जांच कमेटी की रिपोर्ट में एनेस्थिसियोलोजी सहित चिकित्सा दल द्वारा किसी बड़ी चिकित्सकीय अनदेखी का न होना बताया गया तथा द्वितीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में सीनियर रेजिडेन्ट, एनेस्थिसियोलोजी के समय पर उपस्थित होने से परिस्थिति तथा परिणाम बदल सकते थे साथ ही मेटरनिटी ओटी में असफल इन्टुबेशन जो कि एक गर्भवती महिला में होने वाली ज्ञात समस्या है को महिला की मृत्यु का कारण माना है।

प्रथम एव द्वितीय जांच रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है। इसके अतिरिक्त महिला को गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन तथा जुनियर रेजिडेन्ट, एनेस्थिसियोलोजी पर इन्टुबेशन हेतु दबाव बनाना और सीनियर रेजिडेन्ट, एनेस्थिसियोलोजी जब मेटरनिटी ओ.टी. में था ही नहीं तो कैसे सारे आरोप डॉ. एन. निशा पर लगाते हुए दण्डित किया जा सकता है। इस पर आयोग ने संज्ञान लेकर प्रकरण में जानकारी लेने तथा साक्ष्यों के साथ चर्चा हेतु निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिनांक 19.04.2014 को अपराह्न 3:00 बजे बुलाया। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पत्र दिनांक 10.04.2017 के द्वारा अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट मांगते हुए तथा संयुक्त सचिव द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदया से भेंट कर निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मामले में किसी निर्णय हेतु सक्षम अधिकारी बताकर निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा निदेशक (आई.एन.आई) को चर्चा हेतु भेजा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रकरण पर सूचित किया तथा संबंधित रिकॉर्डस प्रस्तुत करते हुए बताया कि राजबीर कौर, पल्मोनेरी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। दिनांक 15.01.2017 को शाम करीब 5:30 बजे ड्यूटी के बाद उनसे मिलकर बताया कि वह स्वस्थ है और आज ही वह अस्पताल जाकर भर्ती होगी तथा उसने समय–समय पर प्रसव पूर्व जांचें करवाई हैं।

आयोग ने महिला की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। दिनांक 16.01.2017 की शाम को लेबर रूम में भर्ती किया गया। गर्भस्थ शिशु की धड़कने सुबह 5:30 बजे तक ठीक थी और अचानक 6:00 बजे धड़कने काफी कम हो गई। इस पर जुनियर रेजिडेन्ट, गायनी ने सीनियर रेजिडेन्ट को सूचित किया तथा सीनियर रेजिडेन्ट ने सलाहकार (कन्सलटैन्ट), गायनीकोलोजी से सलाह करने के तुरन्त बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया तथा डॉ. एन. निशा को फोन पर 5:55 पूर्वाहन आपातकालीन ओटी के पीछे की टेबल पर केस लेने के लिए सूचित किया। उस समय ऑन कॉल एनेस्थिसियोलोजी ड्यूटी टीम में सीनियर रेजिडेन्ट डॉ. निशा ने समुचित संसाधनों के अभाव में, महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा अनाधिकृत जगह होने के कारण पीछे वाली टेबल पर केस लेने से मना करते हुए स्वयं पहुंचने की बात कही।

आयोग ने जानना चाहा कि श्रीमती राजबीर कौर दिनांक 16.01.2017 को लेबर रूम में भर्ती हुई थी उसके बाद उनको क्या इलाज दिया गया और ऐसा क्या हुआ कि उसके स्वास्थ्य की स्थिति अचानक बिगड़ गई। डॉ. निशा को आपात स्थिति में दूरभाष पर सूचित किया तब उसने केस को ओ.टी. की पीछे वाली टेबिल के स्थान पर सामने वाली टेबिल पर लेने की सलाह देते हुए पहुंचने की बात कही। यह उनके ऐच्छिक अनुपस्थिति की पुष्टि तो नहीं करती साथ ही लेबर रूम में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन द्वारा उन्हें केवल मेमो और डॉ. निशा को सेवा से बर्खास्त करना क्या एक भेदभाव का एहसास नहीं कराता है तथा प्रशासन पर ऐसा कौन सा दवाब था कि यह निर्णय लेना पड़ा।

आयोग ने मामले में डॉ. निशा को प्रकरण पर बोलने मौका दिया जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि:–

उनकी अनुपस्थिति में जुनियर रेजिडेन्ट एनेस्थीसियोलोजी ने जुनियर रेजिडेन्ट तथा सीनियर रेजिडेन्ट गायनीकोलोजी के दवाब में बेहोशी की दवा दी तथा श्वास लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन नली लगाई जो फेफड़ों के स्थान पर आहार नाल में चली गई, इसी बीच 10 मिनट्स में वो भी मेटरनिटी ओटी पहुंच गए।

डॉ. निशा ने बताया कि मेटरनिटी ओ.टी के पीछे वाली टेबल पर अधिक जोखिम वाले सर्जिकल ओपरेशन नहीं किए जा सकते क्योंकि वह जगह ऐसा करने हेतु आवश्यक संसाधनों से युक्त नहीं, एनेस्थिसियोलोजी विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट एवं मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट की रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि करती हैं।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

साथ ही डॉ. मनीष, जुनियर रेजिडेन्ट ने स्वय दबाव में आकर निर्णय लिया, बिना सीनियर रेजिडेन्ट को सूचित किए तथा जब समस्या आई तो फिर सारा आरोप सीनियर रेजिडेन्ट पर डालते हुए जुनियर रेजिडेन्ट को कोई पेनाल्टी नहीं दी वह तो मनोवैज्ञानिक दवाब का हवाला देते हुए इस मामले से दोष मुक्त हो गया, जबकि वास्तव में कृत्य तो उसी द्वारा कारित किया गया।

साथ ही डॉ. निशा का कहना है कि उनके लिए लिया गया निर्णय काल्पनिक है कि मैं होता तो ऐसा नहीं होता आदि। पर इसमें कोई गलत दखल तो नहीं है। ऐसे में अनुपस्थिति को आधार मानते हुए नियमानुसार दण्डित किया जाना चाहिए था ना कि सेवा से बर्खासतगी जैसा बेहद कठोर निर्णय लेना चाहिए था।

आयोग ने पूर्ण मामले को सुनने के पश्चात् पाया कि:–

1. मामले में दो जांच कमेटियां बनी जिनकी रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी हैं, जैसा कि पैरा दो में वर्णित है।
2. गाइकोनोलोजिस्ट जिनकी देख–रेख में श्रीमती राजबीर कौर की तबीयत का एकदम से खराब होना उस स्थिति में जब वह गत दिवस शाम तक अस्पताल में कार्यरत थी कहीं प्रसव पूर्व स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर संशय पैदा करता है। साथ ही महिला व शिशु का स्वास्थ्य धड़कनों की निगरानी के आधार पर ठीक था पर सुबह अचानक ही गर्भस्थ शिशु की धड़कनें कम हो जाना रात्रि के दौरान देखभाल, निगरानी एवं सतत मूल्यांकन में खामियों की ओर इंगित करता है को विभाग नजरांदाज करते हुए केवल मेमो देता है जबकि डॉ. निशा को सेवा से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भस्थ शिशु की धड़कनों की निगरानी संबंधी दस्तावेजों में दर्ज समय तथा डॉ. निशा को सूचित करने की कॉल डिटेल संबंधी दस्तावेज में दर्ज समय परस्पर विरोधाभास पैदा करते हैं तथा प्रकरण में डॉ. एन. निशा की समय पर अनुपस्थिति ही इस मामले में इतनी बड़ी कार्यवाही का आधार है।

आयोग ने पाया कि डॉ. निशा के मामले में दो जांचे हुई जिनको देखने से मालूम होता है कि डॉ. निशा को परेशान करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की गई हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के डॉक्टर पर ही वैधानिक कार्रवाई का प्रयोग उसकी उपेक्षा तथा उसके केरियर को नुकसान पहुंचाने के लिए करना पाया गया है। अतः आयोग ने निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सलाह दी कि डॉ. निशा के संबंध में दिया गया दण्ड जो कि सेवा से निष्काशन है पर उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए पुनर्विचार कर उनकी वर्खास्तगी निरस्त कर पुनः बहाल करने की उचित कार्रवाई करें तथा आयोग को की गई कार्रवाई से तत्काल अवगत करवाएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक – क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली : NN/1/2017/MHFW1/SEOTH/RU–III

डॉ. एन. निशा, सीनियर रेजिडेंट, एनेस्थिसिओलोजी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने संस्थान द्वारा उनके साथ किये गए अन्याय के आरोप सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 19.04.2017 को अपराह्न 3:00 बजे संपन्न हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची –

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्रीअनुसुईयाउइके, माननीयउपाध्यक्ष
2. श्रीमती के. डी. बंसोर, निदेशक
3. श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी. सी. कटोच, सलाहकार

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारी

1. श्री रबीन्द्र प्रसाद, निदेशक (मंत्रालय)
2. डॉ. रणदीप गुअलारिया, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3. डॉ. बलराम ऐरान, डीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
4. डॉ. डी. आर. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
5. डॉ. एस. सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, (ई.एन.टी.), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
6. डॉ. संजय ललवानी, रजिस्ट्रार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

अभ्यावेदक

2. डॉ. एन. निशा